

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्ट्रेशन नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/66/2020	2020/00134	16/03/2020	15.02.2022

1- STATE BANK OF INDIA, RACPC-GURGAON PLOT NO. 3 & 4, UDYOG VIHAR PHASE IV, GURUGRAM-122015 (HARYANA)

—प्रार्थी


बनाम

1- MR. TILAK RAJ SHARMA S/O GURDIAL SHARMA H. NO. 707/2, GALI NO. 3D, PATEL NAGAR, NEAR NATIONAL PUBLIC, GURUGRAM, HARYANA-122001

ALSO AT: C/o SRS DIECASTING Pvt. Ltd., 277, Sec-37, PHASE-6, UDYOG VIHAR, NEAR BIKANER SWEETS, GURGAON, HARYANA

ALSO AT: UNIT NO. A-111, FIRST FLOOR, TOWER-A, PLOT NO. 236, ANANT RAJ AASHRAY, NEEMRANA, ALWAR RAJASTHAN

—अप्रार्थीगण/ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 13,15,028/—रूपये (Rupees Thirteen Lakh Fifteen Thousand Twenty Eight Rupee Only) (Housing Loan A/c No.32246579975 Rs. 6,14,660/-, A/c No. 32235309876 Rs. 6,18,933/- Suraksha Loan A/c No.32248082418 Rs. 24,973/- Suraksha Loan A/c No. 32251788589 Rs. 56,462/-) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 13.12.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जज) सहित कुल 14,17,152/—रूपये (Rupees Fourteen Lakh Seventeen Thousand One Hundred Fifty Two Only) है, की अदायगी नहीं की गई। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति (1) Unit No. A-110, 1st Floor, Tower-A, Plot No. 236, Anant Raj Aashray, Neemrana, Alwar Rajasthan Admeasuring Area 400 Sq. Ft. Approx. (37.17 Sq. Mtrs. Approx) Vide Sub-Lease Deed No. 2014005462 Dated 03-11-2014 Registered With Sub-Registrar Neemrana, Distt. Alwar Rajasthan In The Name Of Mr. Tilak Raj. (2) Unit No. 111, 1st Floor Tower-A, Plot No. 236, Anant Raj Aashray, Neemrana Alwar, Rajasthan Admeasuring Area 400 Sq. Fi. Approx. (37.17 Sq. Mtrs. Approx) Vide Sub-Lease Deed No. 2014005461 Dated 03-11-2014 Registered With Sub-Registrar Neemrana, Distt. Rajasthan In The Name Of Mr. Tilak Raj. को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी

जिला कलक्टर, अलवर

ने उपरोक्त (1) Unit No. A-110, 1st Floor, Tower-A, Plot No. 236, Anant Raj Aashray, Neemrana, Alwar Rajasthan Admeasuring Area 400 Sq. Ft. Approx. (37.17 Sq. Mtrs. Approx) Vide Sub-Lease Deed No. 2014005462 Dated 03-11-2014 Registered With Sub-Registrar Neemrana, Distt. Alwar Rajasthan In The Name Of Mr. Tilak Raj. (2) Unit No. 111, 1st Floor Tower-A, Plot No. 236, Anant Raj Aashray, Neemrana Alwar, Rajasthan Admeasuring Area 400 Sq. Fi. Approx. (37.17 Sq. Mtrs. Approx) Vide Sub-Lease Deed No. 2014005461 Dated 03-11-2014 Registered With Sub-Registrar Neemrana, Distt. Rajasthan In The Name Of Mr. Tilak Raj. को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार नीमराणा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में




(नन्मूल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर